FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मगाराम बनाम गिता देवी वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 111,128 RLRAct नं. 18/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व ~~अधिनियम~~ के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/02/19 को पेश हो। [signature]	
25/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कस्म तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 26/04/19 को पेश हो। [initials]	
26/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील ~~कस्म तामील अप्राप्त~~। शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इत्तला होकर आगामी दिनांक 18/06/19 को पेश हो। [initials]	

Scanned by CamScanner

18/06/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो के चारों ओर पक्के नेष्म स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेष्मबनी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेष्मबंनी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेष्मबनी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेष्मबनी मौके पर करवाकर जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 338 — दिनॉक:– 18/06/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मगाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी गोदारों कीं बस्ती पटवार हल्का जाखडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1.गीतादेवी पत्नि गोमाराम वगैरा 10 जाति राव निवासी दानपुरा पटवार हल्का जाखडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 18 / 19

आदेश

मौजा ग्राम दानपुरा पटवार हल्का जाखडा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 467 / 38 रकबा 26–00 बीघा की भुमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वें स्वंय या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 339 – 343 — दिनांक: 18/06/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीहलदार गिड़ा
2. पटवारी गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी मगाराम पुत्र अचलाराम
4. विप्रार्थीगण गीतादेवी पत्नि गोमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner